भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1917
11 मार्च ,2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई की विशेषताएं

1917. श्री मलैयारासन डी. :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की विशेषताएं क्या हैं तथा तमिलनाडु राज्य में इस योजना के तहत अब तक कितनी मत्स्यपालन और जलकृषि परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
(ख) तमिलनाडु में पीएमएमएसवाई के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है तथा आवंटित धनराशि का कितना हिस्सा मत्स्यपालन अवसंरचना, मछली उत्पादन और संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए उपयोग किया गया है;
(ग) मछुआरों, मत्स्य कृषकों और महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कितने लाभार्थियों को तमिलनाडु में पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है;
(घ) तमिलनाडु में मछली उत्पादन बढ़ाने, कोल्ड चेन अवसंरचना में सुधार करने और मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों की आजीविका बढ़ाने पर पीएमएमएसवाई के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, विशेष रूप से मत्स्य निर्यात बढ़ाने, अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने और तटीय समुदायों को सहायता देने के संदर्भ में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों के कल्याण के साथ साथ मात्स्यिकी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। पीएमएमएसवाई को मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर तकनीक, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और मारकेटिंग तक मात्स्यिकी वैल्यू चैन में कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना, ट्रेसबिलिटी को बढ़ाना और एक सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है। पीएमएमएसवाई एक व्यापक योजना है जिसमें दो अलग-अलग घटक हैं, अर्थात् (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) और (ख) केंद्र प्रायोजित

योजना। इस योजना के तहत मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य सहकारी समितियां और संघ, स्व सहायता समूह (एसएचजी), उद्यमी और निजी फर्म, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ), अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति आदि लाभार्थी हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विगत पांच वर्षों (2020 से 2025) के दौरान, पीएमएमएसवाई के तहत तमिलनाडु के लिए 1156.15 करोड़ रुपए के लागत के साथ कुल 116 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर, मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए तमिलनाडु में पीएमएमएसवाई के लिए स्वीकृत वर्षवार परियोजनाएं और निधि उपयोग अनुबंध में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक तमिलनाडु में पीएमएमएसवाई योजना के तहत 1,83,260 मछुआरे/मत्स्यपालक और महिला स्व सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और मछुआरों और मत्स्य किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत विशिष्ट पहल की गई है जैसे जलाशय केज कल्चर का विकास, जलाशयों में फिश सीड का भंडारण, सिंचाई टैंक, नए फिश कल्चर तालाबों के निर्माण के माध्यम से मीठे पानी में फिश फार्मिंग क्षेत्र के विस्तार के लिए सहायता प्रदान करना और विभिन्न योजनाओं के तहत इनपुट सहायता प्रदान करना, खारे पानी की जल कृषि और मीठे पानी के जल कृषि को बढ़ावा देना आदि । मात्स्यिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई उन्नत पोस्ट हारवेस्ट कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट और परिवहन सुविधाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। ये सुधार मत्स्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे समुद्री खाद्य निर्यात वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। मत्स्य की गुणवत्ता बनाए रखने, पोस्ट हारवेस्ट के नुकसान को कम करने और मात्स्यिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए 40 आइस प्लांट, 1,528 पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन सुविधाएँ, 3 फिश रिटेल मार्केट और 55 फिश वेंडिंग कियोस्क को स्वीकृति दी है। पीएमएमएसवाई में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए फिशिंग हारबर और फिश लैंडिंग सेन्टरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई का उद्देश्य आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड, मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजस की स्थापना करके तटीय मत्स्यन समुदायों का व्यापक विकास करना है। इसमें तटीय मछुआरों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपदा को झेल सकने वाले (रेसीलिएंट) आवास, पोस्ट हारवेस्ट सुविधाएं और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वयन के लिए 1156.15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और तमिलनाडु में मछुआरों और मत्स्य किसानों की आजीविका को बढ़ाना था।

*****

अनुबंध

11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1917 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - वर्षवार परियोजनाएं और उपयोगिता (रुपए लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या		कुल स्वीकृत परियोजनाएँ	स्वीकृत परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	भारत सरकार द्वारा जारी शेयर	भारत सरकार का कुल उपयोग किया गया शेयर
		लाभार्थी उन्मुख	गैर-लाभार्थी उन्मुख					
01.	2020-21	20	03	23	69.8875	27.3416	20.5061	26.0624
02.	2021-22	31	02	33	290.9685	98.3812	48.1215	57.1637
03.	2022-23	19	06	25	448.7865	209.2471	51.9500	123.9862
04.	2023-24	22	01	23	127.0495	43.7710	10.9430	27.2175
05.	2024-25	11	01	12	219.4627	69.9105	-	23.8024
	कुल	104	13	116	1156.1547	448.6514	131.5203	258.2322*

*भारत सरकार का शेयर पीएमएमएसवाई एसएनए खाते (बीआर और पीएमएमएसवाई फंड) में उपलब्ध निधियों और भारत सरकार से जारी निधियों से उपयोग किया जाता है।